न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 13./2021

अनवान :–

1. भूपसिह पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट साकिन रेवासी तहसील तारागनर जिला चरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

3. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25.11.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प मलवानणी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 28/155 के प0न0 327/350(16) के किला न0 16 ता 19 प्रत्येक की 0.2530 किला न0 23 ता 25 प्रत्येक 0.2530 हैक कुल 1.7460हैक भूमि वादी के नाम दर्ज है।

रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 654/555 के प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 3.7950हैक प0न0 327/352(58) किला न0 2/2 की 0.1390 ,3/2 की 0.1390 ,4/2 की 0.1390 ,5/2 की 0.1390 ,6 ता 8 ,13 ता 18 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 2.833हैक प0न0 328/351(47) किला न0 11 ,20 ,21 ,22/1.0120 प0न0 328/352(59) के किला न0 1/2 की 0.1390 ,2/2 की 0.1390 ,3/2 की 0.1390 8 ता 13 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 9.5750हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है

प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 गावं से चलकर नहर पटरी से रास्ते से होते हुए अपने खेत चक 3 बारानी के प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ,8 ,13 ,18 ,23 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उत्तर चलकर अपने खेत में पहुच जाते है यही सबसे छोटा रास्ता व सुविधाजनक रास्ता है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ,8 ,13 ,18 , 23 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकार किया जाकर एवं रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 1 अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ,8 ,13 ,18 , 23 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले बाजार भाव से मुल्य सायल गैरसायल संख्या 1 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....मलवाणी

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /   दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 13 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :-

अनवान :-

1. भूपसिह पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट साकिन रेवासी तहसील तारागनर जिला चरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-असल गैरसायल

3. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायल न0 1 की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 327 / 351(48) के किला न0 3 ,8 ,13 ,18 , 23 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उतर की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले बाजार भाव से मुल्य सायल गैरसायल संख्या 1 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....मलवाणी